भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2897

जिसका उत्तर 08 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

औद्योगिक बहिस्त्राव के कारण प्रदूषण

2897. श्री वीरेन्द्र सिंहः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश की प्रमुख नदियां औद्योगिक बहिस्त्राव के कारण प्रदूषित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत वर्ष-वार कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) नदी जल प्रदूषण की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क): देश में नदियाँ मुख्य रूप से शहरों/कस्बों से अनुपचारित और आंशिक रूप से उपचारित सीवेज तथा औद्योगिक अपशिष्टों के जलग्रहण क्षेत्रों में निस्सरण के कारण प्रदूषित होती हैं। प्रदूषण के गैर-बिंदु स्रोत जैसे कृषि अपवाह, खुले में शौच, ठोस अपशिष्ट डंप स्थलों से अपवाह आदि भी नदियों के प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण यह समस्या और अधिक गंभीर हो गई है।

(ख): जल निकायों में औद्योगिक अपशिष्टों के निस्सरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट निर्वहन मानकों की अधिसूचना जारी करना, उद्योगों के वर्गीकरण के मानदंडों में संशोधन करना और सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) / प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को इसे अपनाने के लिए निर्देश जारी करना, निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन की जांच के लिए अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का नियमित और औचक निरीक्षण करना, अपशिष्ट की गुणवत्ता और अनुपालन स्थिति के आकलन के लिए ऑनलाइन सतत अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना करना शामिल है।

सीपीसीबी के अनुसार, गंगा बेसिन में 3526 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) की पहचान की गई है। इनमें से 2855 उद्योग संचालित हैं तथा 671 उद्योग स्वयं बंद हो गए हैं। संचालित 2855 उद्योगों में से 2734 उद्योग निर्धारित पर्यावरण मानकों का अनुपालन कर रहे

हैं। नियमों का पालन न करने वाले 121 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस / बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

देश में प्रदूषित नदी क्षेत्रों के पुनरुद्धार के संबंध में मूल आवेदन संख्या 673/2018 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में सीपीसीबी की वर्ष 2018 की रिपोर्ट में चिन्हित और प्रकाशित प्रदूषित हिस्सों के पुनरुद्धार के लिए राज्यों द्वारा अनुमोदित कार्य योजनाओं को लागू करना आवश्यक है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाती है तथा यह कार्य केन्द्रीय स्तर पर भी सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

(ग): पिछले पांच वर्षों में भारत सरकार द्वारा एनएमसीजी को जारी की गई धनराशि तथा नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत एनएमसीजी द्वारा जारी/वितरित धनराशि का विवरण निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	**भारत सरकार द्वारा एनएमसीजी को जारी निधि**	**एनएमसीजी द्वारा संवितरण/जारी**
2019-20	1,553.40	2,673.09
2020-21	1,300.00	1,339.97
2021-22	1,900.00	1,892.70
2022-23	2,220.00	2,258.98
2023-24	2,400.00	2,396.10
कुल	9,373.40	10,560.84

(घ): सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2022 में प्रकाशित नवीनतम प्रदूषित नदी क्षेत्र (पीआरएस) रिपोर्ट के अनुसार, 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में 603 नदियों की मॉनिटरिग की गई और 279 नदियों के 311 नदी क्षेत्र प्रदूषित पाए गए। इसका विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvMTQ5OF8xNjcyOTg4MDQ1X21lZGlhcGhvdG8xMjk5NS5wZGY
